



2026:AHC:127049

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 15971/2026

मोनू @ मन्नू

----- आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

----- विपक्षी (गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : क्षितिज पांडे, आर.वी. पांडे

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री पंकज कुमार त्रिपाठी, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। नोटिस तामील होने के बावजूद, सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0612/2025, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस और धारा 3/4(2) पोक्सो अधिनियम, पुलिस स्टेशन मुगलसराय, जिला चंदौली के तहत मामले में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए किसी भी आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना 19.12.2025 को लगभग 14.00 बजे घटित हुई बताई जाती है, जबकि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट विचार-विमर्श के बाद 21.12.2025 को लगभग 18.08 बजे दर्ज की गई है, जिसके लिए देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि शुरू में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट भा०द०स० की धारा 363 के तहत दर्ज की गई थी और पीड़िता की बरामदगी और उसके बयान पर विचार करने के बाद, इसमें बीएनएस की धारा 87, 65(1) और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) भी जोड़ी गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि पीड़िता बालिग है और उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है। पीड़िता ने धारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया था। पीड़िता ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता के बयान के अनुसार, पीड़िता अपनी सहमति से इस मामले में शामिल थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि पीड़िता ने स्वयं चिकित्सा परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है।

4. आवेदक पर लगाए गए आरोपों के झूठे होने को साबित करने के लिए कोर्ट के सामने कई और बातें भी रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन हालात की वजह से आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया, उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। आवेदक की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है और जब भी जरूरत होगी, न्यायालय के समक्ष ईमानदारी से पेश होगा। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 21.01.2026 से जेल में निरुद्ध है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र का पुरजोर विरोध किया, परन्तु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
6. अभियोग की प्रकृति, दोष सिद्ध होने पर दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा आरोप की पुष्टि को देखते हुए, आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा होने का पात्र है।
7. उपरोक्त मामले में आरोपित मोनू उर्फ मन्नू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार सहित व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आरोपित यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर वह स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (ii) आरोपित प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुपस्थिति की स्थिति में, निचली अदालत उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174 - ए के तहत विधिवत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को विचरण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) धारा 313 द०प्र०स० के तहत बयान दर्ज करना। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो निचली अदालत ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचरण न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी, यदि कोई हो, तो वह इस जमानत आवेदन के निपटारे तक ही सीमित है और इसे मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026